

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-24/2022

पटना, दिनांक-

सुश्री मनीषा सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.02.2025 से 16.02.2025 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित सुश्री सिंह के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (68-16=52) (बावन) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक:-6/अ0-03-24/2022 1733

पटना, दिनांक- 21/04/25

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं सुश्री मनीषा सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल-2, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।